23.7.19	पत्रावली पेश। वकील ... बहस सुनी गई। वास्ते आदेश फायली निर्णय 25.7.19 को पेश हो।
25/7/19	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। समयाभाव में निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 30/7/19 को पेश हो।
30/7/19	पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, वादपत्र के अंकित तथ्य, वांछित अनुतोष, प्रतिवादी० के जवाब, जवाब के तथ्य, उभय पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यादि पर सम्यक विचार किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया एवं दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर सम्यक विधिसंगत विचार किया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है। तनकी नम्बर 1:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा दो गवाह तथा रजिस्ट्री दिनांक 3.7.80 प्रदर्श-1, नकल नामा० ग्राम निमाना 183 प्रदर्श-2, नकल जमाबंदी ग्राम निमाना सं. 2038-41 खाता नं. 135 प्रदर्श-3, नकल जमाबंदी निमाना 2055-58 प्रदर्श-4, नकल बैयनामा पत्र दि. 29.12.10 प्रदर्श-5, नकल नामान्तरण निमाना क्रमांक 691 दि. 28.1.11 प्रदर्श-6 पेश किये।

प्रदर्श-1 से प्रमाणित होता है, कि वादी व प्रतिवादी नं. 1 द्वारा ग्राम निमाना की भूमि को समभाग में क्रय किया था। प्रदर्श-2 से प्रमाणित होता है, कि वादग्रस्त भूमि हिस्सा 1/2 वादी तथा हिस्सा 1/2 प्रतिवादी नं. 1 के नाम हस्ब रजिस्टर्ड दस्तावेज नामान्तरण दायर किया गया। रजिस्टर्ड दस्तावेज में ऐसा कहीं अंकित नहीं है, कि वादी द्वारा भूमि क्रय करते समय 10000/- तथा प्रति० 1 द्वारा 40000/- रुपये दिये हों या भूमि का हिस्सा 1/3 वादी या 2/3 प्रति० नम्बर 1 द्वारा क्रय किया गया हो। हस्ब प्रदर्श-1 व प्रदर्श-2 व प्रदर्श-3 व प्रदर्श-4 यह प्रमाणित होता है, कि वादग्रस्त भूमि वादी और प्रतिवादी नम्बर 1 की स्वार्जित संपत्ति है जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 तथा प्रति० 1 का हिस्सा 1/2 निहित है।

प्रदर्श-5 के क्रम में वादी का कथन है, कि प्रतिवादी नम्बर 1 पटवारी हल्का के यहाँ काम करता था। और अभियान की

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी तारीख हुक्म
	दौरान प्रतिवादी नं. 1 ने वादी से बेचान की बात कहकर हस्ताक्षर करवाये है। वादी ने खाली कागज पर हस्ताक्षर किये है। वादी कभी भी तहसीलदार के समक्ष उक्त बेचान के लिये नहीं गया। प्रकरण में एक तथ्य तय है, कि वादग्रस्त भूमि पैतृक संपत्ति नहीं होकर स्वार्जित संपत्ति प्रमाणित है। साथ ही साथ वादग्रस्त भूमि में वादी का आधा हिस्सा निहित है। वादी की लाइल्मी में किया गया बेचान अपनी वैधता रखता हुआ प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार के बेचान से राज्य सरकार को हानि होना तय है। उक्त विभाजन से वादी को 7½ बीघा भूमि की बजाय 5 भूमि दी गई है। सरकार को 2½ भूमि के स्टाम्प ड्यूटी की हानि की गई है। उक्त विभाजन के परिणामस्वरूप वाद प्रश्न-6 का कोई खास विधिक औचित्य नहीं है। वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है, जिसके अन्तर्गत प्रतिवादीगण के अवैध कृत्य को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। वादी हि० 1/2 का हकदार है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी बहक वादी तय की जाती है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तनकी नम्बर 2:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी० द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रश्नगत वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इस तनकी का दूसरा पहलू विधिक भी है। वादी द्वारा ग्राम निमाना की भूमि के लिये वाद पेश किया है। ग्राम निमाना पटवार मण्डल पीपाखेड़ी, तहसील रामगंजमण्डी का ग्राम है, जिसके दावे सुनने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,188 के अन्तर्गत वाद पेश किया उक्त धाराओं के तहत उक्त वाद के तृतीय परिशिष्ट की क्रम संख्या 5 एवं क्रम संख्या (23ग) के तहत इस न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वादी द्वारा किसी आदेश के विरुद्ध अपील नहीं कर अपने स्वत्व की घोषणा चाही है, जिसका श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। अतः यह तनकी खिलाफ प्रतिवादी तय की जाती है। तनकी नम्बर 3:- तनकी नम्बर 1 व 2 के विवेचन एवं विश्लेषण से यह पाया जाता है, कि वादग्रस्त भूमि वादी की स्वार्जित संपत्ति है, जिसे जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय किया गया है। वादग्रस्त भूमि में वादी का आधा हिस्सा निहित है, वादी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तारीख में जा... हुक्म
	अपने 1/2 हिस्से को अपने नाम दर्ज कराने का हकदार है। अतः दावा वादी अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है, कि ग्राम निमाना की भूमि ख० नं० 12 रकबा 2.43 हेक्टर में वादी हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी नं. 1 जरिये का० मु० हिस्सा 1/2 प्रवनिसार दर्ज किया जावे। तदनुसार डिक्री मुताबिक रिकार्ड में अमल दरामद हो। निर्णय आज दिनांक 30/07/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया। 30/07/19 उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	

Scanned by CamScanner